बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः– 03-08-16

संख्या–3(स०)/उ०स्था०(आरोप)13/14–3589/श्री भोला पासवान, परियोजना प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार को दी गयी थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–364 दिनांक 19–09–12 द्वारा श्री पासवान को अंचलाधिकारी के पद पर अंचल–रोह, जिला–नवादा में पदस्थापित किया गया। श्री भोला पासवान को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के द्वारा गठित धावा दल द्वारा दिनांक 15–10–2014 को अंचलाधिकारी, अंचल–रोह, जिला–नवादा के पद पर कार्यरत रहने के दौरान रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–4450 दिनांक 05–12–2014 द्वारा इन्हें हिरासत में जाने की तिथि के प्रभाव से निलम्बित किया गया। श्री पासवान द्वारा हिरासत से छूटने के बाद दिनांक 17–12–2014 के पूर्वाह्न में उद्योग विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया गया। विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–537 दिनांक 06–02–15 द्वारा इनके योगदान को स्वीकृत करते हुये निलम्बन मुक्त किया गया। पुनः विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–562 दिनांक 06–02–2015 द्वारा श्री भोला पासवान को दिनांक 17–12–2014 के अपराह्न से निलम्बित करते हुये निलम्बन अवधि का मुख्यालय–महाप्रबंधक कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया। विभागीय संकल्प संख्या–767 दिनांक 19–02–2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए श्री अनिल कुमार ठाकुर, संयुक्त उद्योग निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री भोला पासवान से संचालन पदाधिकारी द्वारा उद्योग विभाग (तकनीकी विकास) के पत्रांक–440 दिनांक 12–03–15 द्वारा प्रपत्र–'क' में गठित आरोप पर लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री पासवान द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रपत्र–'क' में गठित आरोपों से इन्कार करते हुये कहा गया कि उनको साजिश के तहत झूठे केस में फँसाया गया है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस माम्ले के सूचक राकेश कुमार अपराधी प्रवृत्ति का है जो अंचल कार्यालय रोह में दलाली का कार्य करता था तथा उसके दलाली के कार्य को रोकने के कारण सूचक द्वारा निगरानी से साजिश के तहत फँसाया गया है।

संचालन पदाधिकारी ने पत्रांक–1372 दिनांक 29–07–2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के संदर्भ में निष्कर्षतः उल्लेख किया गया कि उन पर लगाये गये रिश्वत माँगने के आरोप पर गवाह एवं सूचक को बार–बार बुलाये जाने पर भी उपस्थित नहीं होने के कारण मामला एक पक्षीय सुना गया, जिस पर आरोप पूर्णतः नहीं बन पा रहा है। चूँकि मामला निगरानी विभाग में है इसलिए निगरानी विभाग का आदेश ही सर्वमान्य होगा।

विभागीय पत्रांक–3280 दिनांक 11–08–2015 द्वारा श्री भोला पासवान से संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) माँगा गया। श्री पासवान ने दिनांक 19–08–2015 को अपना लिखित अभिकथन समर्पित किया, जिसमें जाँच प्रतिवेदन को गहन अध्ययन, क्रमवार विश्लेषण और विधिक मापदण्ड युक्त बताया गया तथा कहा गया कि निगरानी न्यायालय का आदेश मान्य होने के निष्कर्ष से वे सहमत है।

आरोप, स्पष्टीकरण एवं जाँच प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत स्पष्ट होता है कि संचालन पदाधिकारी ने आरोप–पत्र में अन्तर्विष्ट आरोप का खंडन नहीं किया। इस प्रकार यह तथ्य सत्य पाया गया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा गठित धावा दल द्वारा श्री पासवान को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया था। श्री पासवान द्वारा ऐसा कार्य किया गया जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है एवं जो उनके कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। श्री पासवान के उक्त कृत्य से राज्य प्रशासन की छवि धूमिल हुई। श्री पासवान का यह आचरण सरकारी सेवा में बनाये रखने योग्य नही है।

36

आई०टी० मैनेजर उद्योग विभाग

D:\Industry Deptt\Devesh\Devesh 2.doc

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण एवं जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत आरोपित पदाधिकारी श्री भोला पासवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(X), संशोधित नियमावली, 2007 के अधीन नियम–14(XI) के तहत सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी एवं निलम्बन अवधि के लिए मात्र जीवन यापन भत्ता ही देय होगा, शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय पत्रांक–1407 दिनांक 18–03–16 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्री पासवान के विरूद्ध विनिश्चित दंड पर परामर्श की माँग की गई। जिसपर आयोग के पत्रांक–1252 दिनांक 22–07–2016 द्वारा दंड प्रस्ताव पर आयोग की पूर्ण पीठ की सहमति संसूचित की गई।

श्री भोला पासवान, निलम्बित परियोजना प्रबंधक (मुख्यालय–महाप्रबंधक कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर) के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग के मंतव्य के आलोक में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है :–

(i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(X), संशोधित नियमावली, 2007 के अधीन नियम–14(XI) के तहत **"सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी"।**

(ii) **निलम्बन अवधि के लिए मात्र जीवन यापन भत्ता ही देय होगा।**

श्री भोला पासवान, निलम्बित परियोजना प्रबंधक के बर्खास्तगी प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री भोला पासवान, निलम्बित परियोजना प्रबंधक (मुख्यालय–महाप्रबंधक का कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर) एवं सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–
3(सा०)/उ०स्था०(आरोप)13/14
पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, इ–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 3589
पटना, दिनांकः– 03-08-16

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, नवादा/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर/अंचलाधिकारी, अंचल–रोह, जिला–नवादा/श्री भोला पासवान, निलम्बित परियोजना प्रबंधक, मुख्यालय–महाप्रबंधक कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/8/2016
सरकार के उप सचिव

राकेश/03–08–16

D:\Industry Deptt\Devesh\Devesh 2.doc